

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग

क्रमांक : एफ 24 (1)विस्वा./ग्रुप-3/2018 पार्ट

जयपुर, दिनांक
3 NOV 2020


रजिस्ट्रार,
राजस्थान नर्सिंग कौंसिल,
जयपुर।

विषय:-भारतीय नर्सिंग कौंसिल (आई.एन.सी.), नई दिल्ली की बाध्यता के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत श्री विभूति भूषण शर्मा, अतिरिक्त महाधिवक्ता महोदय से आई.एन. सी. की बाध्यता के संबंध में प्रदत्त राय अनुसार निर्देशित किया जाता है कि आई.एन.सी. को निरीक्षण करने का अधिकार है परन्तु मान्यता दिये जाने का अधिकार नहीं है साथ ही आई.एन. सी. की वेबसाइट पर किसी भी तरह की सामग्री प्रकाशित करने का अधिकार नहीं है।

भवदीय,



उप शासन सचिव


Accession
2

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग

क्रमांक : एफ 24 (1)चिस्वा./ग्रुप-3/2018 पार्ट

जयपुर, दिनांक 2 FEB 2021

कुलसचिव,
राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय,
कुम्भा मार्ग, सैक्टर-18, प्रताप नगर,
टोंक रोड़, जयपुर।



विषय:-माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 11.09.2017 को दिये
आदेश की अनुपालना में आई0एन0सी0 की भूमिका के संबंध में।

संदर्भ :-एफ-8()एकेडमिक-1/राज.स्वा.वि.वि./2019-20/4200 दिनांक 03.07.2020


महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि विश्वविद्यालय की सम्बद्धता के लिये नर्सिंग महाविद्यालयों के पास आई0एन0सी0 की स्वीकृति के स्थान पर राजस्थान नर्सिंग कौंसिल को सम्बद्धता हेतु स्वीकृति दी जाती है।

भवदीय,

—Sd—
(हरफूल पंकज)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।


(दिलीप सिंह)
अनुभागाधिकारी